

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 277]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 5 जुलाई 2016—आषाढ़-14, शक 1938

संसदीय कार्य विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 जुलाई, 2016

क्र. 1528-फा(2)13-2016-दो अड़तालीस.—मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 5-क के साथ पठित धारा 9 की उपधारा (2) के खण्ड (कक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य (रेल द्वारा निःशुल्क अभिवहन) नियम, 1978 में निम्नलिखित और संशोधन करती है; अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

- (1) नियम 3 में, अंक तथा शब्द “6,000 किलोमीटर” के स्थान पर, अंक तथा शब्द “10,000 किलोमीटर” स्थापित किए जाएं.
- (2) नियम 5 के उप-नियम (1) के अनुक्रमांक (1) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

“(1) 6 कूपन प्रत्येक 500 रुपये का	3000.00
5 कूपन प्रत्येक 100 रुपये का	500.00
5 कूपन प्रत्येक 50 रुपये का	250.00
5 कूपन प्रत्येक 20 रुपये का	100.00
10 कूपन प्रत्येक 10 रुपये का	100.00
10 कूपन प्रत्येक 5 रुपये का	50.00
योग . .	<u>4000.00.”</u>

- (3) नियम 7 में, अंक तथा शब्द “6,000 किलोमीटर” के स्थान पर, अंक तथा शब्द “10,000 किलोमीटर” स्थापित किए जाएं.

- (4) नियम 9 में, उपनियम (1) में खण्ड (क) में, अंक तथा शब्द "3,000 किलोमीटर" के स्थान पर, अंक तथा शब्द "5,000 किलोमीटर" स्थापित किए जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 5 जुलाई, 2016

क्र. 1529-फा (2) 13-2016-दो-अड़तालीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 1528-फा(2)13-2016-दो-अड़तालीस, दिनांक 5 जुलाई 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal, the 5th July 2016

No. 1528-F-(2)-13-2016-II-XLVIII.—In exercise of the powers conferred by clause (aa) of sub-section (2) of Section 9 read with Section 5-A of the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973), the State Government, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Legislative Assembly Members (Free Transit by Railway) Rules, 1978, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

- (1) in rule 3, for the figure and word "6000 Kilometres", the figure and word "10000 Kilometres" shall be substituted.
- (2) in rule 5, in sub-rule (1), for serial number (1) and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

"(1) 6 coupons of Rs. 500 each	Rs. 3000.00
5 coupons of Rs. 100 each	Rs. 500.00
5 coupons of Rs. 50 each	Rs. 250.00
5 coupons of Rs. 20 each	Rs. 100.00
10 coupons of Rs. 10 each	Rs. 100.00
10 coupons of Rs. 5 each	Rs. 50.00

Total : Rs. 4000.00."

- (3) in rule 7, for the figure and word "6000 Kilometres", the figure and word "10000 Kilometres" shall be substituted.
- (4) in rule 9, in sub-rule (1), in clause (a), for the figure and word "3000 Kilometres", the figure and word "5000 Kilometres" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAJESH GUPTA, Addl. Secy.